निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 24 वर्ष 2018-19

यह निरीक्षण प्रतिवेदन **अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत के माह 10/2015 से 05/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री संजीव कुमार एवं श्री सुनील कुमार सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 29/06/2018 से 06/07/2018 तक श्री अनिल कुमार जैन, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री भानूप्रताप सिंह एवं श्री आर. एन. यादव लेखापरीक्षा अधिकारियो द्वारा दिनांक 15/10/2015 से 25/10/2015 तक..... वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 06/2012 से 09/2015 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी।

(2) (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र: रानीखेत,

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		अवशेष			
							स्थापना		गैर स्थापना	
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आधिक्य	बचत	आधिक्य	बचत
2015-16	N.A.	NIL	396.81	396.81	2002.25	2002.25	-		-	
2016-17	N.A.	NIL	456.34	456.34	2235.55	2235.55	-		-	
2017-18	N.A.	NIL	513.97	513.97	2774.56	2774.56	-		-	

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
शून्य					

(iii) इकाई का बजट आवंटन ..... द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई **....** श्रेणी की है ।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव

प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष

मुख्य अभियंता

अधीक्षण अभियंता

(iv) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में कार्यालय **अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2016 , 3/2012 को विस्तृत जाँच हेतु चयनित किया गया।

भासी-चौवुरिया का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन अधिक व्यय के आधार पर किया गया।

(V) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

3. अधीक्षण अभियन्ता द्वारा विगत लेखा परीक्षा से वर्तमान तक की अवधि में दिनांक 02/2017 से 2018 का निरीक्षण किया गया।
4. खण्ड के भंडार लेखों की अर्धवार्षिक लेखा बंदी तथा यंत्र संयंत्र लेखो की वार्षिक लेखा बंदी क्रमश: माह 09/2017 तक की गई।
5. **फॉर्म-51**: माह 05/2018 तक कार्यालय महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उत्तराखंड को प्रेषित किया जा चुका है। जिसके प्रथम एवं द्वितीय के अवशेष निम्नवत है

भाग प्रथम- ` (-) 1840140.73

भाग द्वितीय- ` 478019.15

6. खण्ड के उच्चन्तलेखो के अवशेष 05/2018 के अंत में

1.नकद परिशोधन- शून्य
2.सामग्री क्र्य- शून्य
3.निक्षेप पंजिका- ₹ 72765668.03
4.प्रकीर्ण अग्रिम- ` 5217971.36
5.भंडार- ` (-) 5628910

भाग दो (ब)

प्रस्तर-1- रु0 25.11 लाख अनियमित व्ययाधिक्य और अवैध बैंक गारंटी के कारण रु0 37.94 लाख की वसूली न होना।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खंड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत (अल्मोड़ा) के अभिलेखों की लेखापरीक्षा की नमूना जांच मे पाया गया कि राज्य योजनान्तर्गत (मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 551/2012) जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र रानीखेत में भतरौजखान-भिकियासैन-चौखुटीया मोटरमार्ग का सुधार कार्य की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या 2194/III (2)/13-47(प्रा॰आ॰)/2012 टी॰सी॰ दिनाक 22.03.2013 से लम्बाई 17.500 किमी हेतु लागत ` 785.24 लाख की प्राप्त थी। उक्त कार्य की लंबाई 14.500 किमी0 हेतु रु0 785.24 लाख की प्राविधिक स्वीकृति हेतु मुख्य अभियंता, (कु0क्षे0), लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा को दिनाक 26.10.2013 को प्रेषित की गयी। उक्त कार्य की प्राविधिक स्वीकृति मुख्य अभियंता, (कु0क्षे0), लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा के पत्रांक 13052/505याता0-कु0/2013 दिनाक 30.10.2013 के द्वारा प्रदान की गई।

उक्त सुधार के कार्य हेतु मै0 आर0 जी0 बिल्डवैल इंजीनियर्स लि0 के साथ लागत रु0 6,98,19,464.87 का अनुबंध संख्या 11/SE-01/13 दिनांक 21.11.2013 गठित किया गया उक्तानुसार कार्य प्रारम्भ की तिथि 21.11.2013 एवं कार्य पूर्ण होने की तिथि 20.02.2015 थी। उक्त कार्य के सापेक्ष Xth/R Bill तक रु0 6,55,14,365.00 के भुगतान के बाद भी आतिथि तक अपूर्ण है। XIth& Final Bill तक रु0 6,86,75,986.00 का कार्य ठेकेदार द्वारा किया गया था। उक्त कार्य के XIth& Final Bill, जबकि कार्य अपूर्ण है, के अनुसार ठेकेदार से रु0 68,99,102.00 की वसूली की जानी है। जबकि ठेकेदार से जमानत धनराशि के रूप मे उसके बिलों से कटौती कर रु0 31,04,959.00 के रूप में खंड के पास जमा है। जबकि ठेकेदार की खंड के पास जमा बैंकगारंटी (Bank Guarantee) रु0 35,42,000.00 दिनांक 06-11-2017 को समाप्त हो चुकी थी इस प्रकार ठेकेदार से अंतरीय धनराशि रु0 37,94,143 की वसूली हेतु खंड के पास ठेकेदार की कोई धनराशि अवशेष नहीं है इस प्रकार ठेकेदार से उक्त शेष धनराशि की वसूली की जानी सम्भव नहीं है। साथ ही बैंक गारंटी को वैध न करवाकर खंड द्वारा GPW 9 and SDB की शर्तो का उल्लंघन किया है।

प्रश्नगत कार्य के XIth& Final Bill अनुसार उक्त मार्ग पर Tack coat using bitumen VG10 का कार्य 1,51,558.72 Sqm. किया गया है जबकि SDBC का कार्य 2015.89 Cum. किया गया है जबकि Tack coat के अनुपात में SDBC का कार्य 1892.25[1] Cum. होना चाहिये। इस प्रकार SDBC की अंतरीय मात्रा 123.64 Cum. से अधिक का कार्य execute किया गया।

25 mm SDBC की प्राविधिक स्वीकृति के सापेक्ष 26.50 mm SDBC किया गया। माप पुस्तिकाओ की जांच मे पाया गया की आगणन मे प्रावधानित SDBC की मात्रा25 mm के सापेक्ष 26.5 mm क्रिर्यान्वित किया गया है जो की IRC 37 के नियमो के विरुद्ध है एवं 1.5 mm SDBC अधिक करने से 114.11[2] cum SDBC अधिक किया गया है जिस पर रु0 10.84 लाख अधिक खर्च किया गया है जो अनावश्यक खर्च है।

माप पुस्तिकाओ की जांच मे पाया गया की 26.46cum SDBC किलोमीटर एक मे बिना तकनीकी स्वीकृति एवं बिना प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति के किर्यान्वित किया गया है जिस पर 2.52[3] लाख का व्यय किया गया, जो कि वित्तीय नियमों का उल्लंघन है ।

उक्त के संबंध में खंड ने अपने उत्तर मे बताया गया कि ठेकेदार द्वारा कार्यस्थल पर कार्य बंद कर दिया गया था जिस कारण कार्य को अधूरा मानते हुए अनुबन्ध के अंतिमिकरण की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई थी, लेकिन ठेकेदार द्वारा इस देयक पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया गया है, तथा अधूरे कार्यों को पूर्ण करने हेतु इच्छा व्यक्त की गई है। अतः प्रस्तुत देयक पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है, ठेकेदार द्वारा कार्य पूर्ण करने की स्थिति में वसूली की धनराशि स्वतः ही कम/समाप्त हो जाएगी। यदि ठेकेदार द्वारा कार्य प्रारम्भ नहीं किया जाता है तो नियमानुसार अग्रिम कार्येवाही की जाएगी।

प्रस्तुत किए गए देयक का अभी अंतिमिकरण नहीं किया गया है, जांच के पश्चात अनुमन्य मोटाई का ही भुगतान किया जाएगा।

खण्ड द्वारा अपने उत्तर में बताया गया कि मा0 मुख्यमंत्री के ग्राम मोहनरी मेँ जनता दरबार का कार्यक्रम आयोजित था, जिसमे मा0 मुख्यमंत्री को Km.1 से होकर कार द्वारा

---

[1] 14500x.0.025x5.22=1892.25cum[length of the road x thickness of SDBC x average width of the road{Average wdth of the road=tack coat actually executed 151558.72/2=75779.36sqm divided by total length of the road =14500 meter =5.22}]

[2] 1.5/26.5 X2015.89 = 114.11 cum

[3] 1058.50/1000=1.0585X 1000 X 0.025= 26.46X 9500 = 2.52 lakh

मोहनरी जाना था, जिसको दृष्टिगत रखते हुए उच्चाधिकारियों / जिला प्रशासन द्वारा दिये गए निर्देशानुसार कार्य किया गया।

खंड के उत्तर से स्पष्ट है लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकारते हुए नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही किए जाने की बात कही गई है।

अतः रु0 25.11[4] लाख अनियमित व्ययाधिक्य और कालातीत बैंक गारंटी के कारण रु0 37.94 लाख की वसूली न होने का प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु संज्ञान मे लाया जाता है|

[4] 123.64 X 9500 = 11.75 lakh
114.11 X 9500 = 10.84 lakh
Irregular expenditure on KM - 1 =2.52 lakh
Total = 25.11 lakh

भाग -दो 'ब'

प्रस्तर-2- रु॰ 29.99 लाख का अंतरीय व्यय।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खंड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत (अल्मोड़ा) के अभिलेखों की लेखा परीक्षा की नमूना जांच मे पाया गया कि भिकियासेन के अंतर्गत गनोली-बावन मोटर मार्ग का निर्माण कार्य 4 किमी0 पर कुल स्वीकृत रु॰ 140.00 लाख के सापेक्ष नाबार्ड लोन स्वीकृति के समय (09.11.2017) शेष लागत रु॰ 69.70 लाख थी। उक्त रु॰ 69.70 लाख में से नाबार्ड लोन स्वीकृति के अंतर्गत रु॰ 54.70 लाख था एवं रु॰ 15.00 लाख Ineligible Cost था। उक्त मार्ग पर नाबार्ड लोन स्वीकृति के समय दिनांक 31.03.2017 तक खंड के मार्च 2017 के मासिक लेखे के अनुसार यह व्यय रु॰70.30 लाख था। माह जून 2018 के नाबार्ड -23 के वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन के अनुसार नाबार्ड के अंश रु0 54.70 लाख मे से रु0 54.27 लाख की 2018-19 में मांग की गई है जबकि नाबार्ड अंश के रूप मे रु0 7.75 लाख का व्यय दर्शाया गया है इस प्रकार नाबार्ड अंश रु0 7.32 लाख की मूल स्वीकृति से ज्यादा मांग की गई है तथा रु0 77.97 लाख का राज्य अंश के रूप मे व्यय दर्शाया गया है जबकि दिनांक 31.03.2017 तक राज्य सैक्टर के अंतर्गत रु0 70.30 लाख का व्यय उक्त मार्ग पर किया गया था। नाबार्ड से रु. 7.32 लाख की ज्यादा मांग, राज्य द्वारा बाद में उक्त मार्ग पर रु0 7.67 लाख ज्यादा व्यय किया जाना एवं Ineligible Cost रु0 15.00 लाख के कारण उक्त व्यय में रु॰ 29.99 लाख का अंतर था।

लेखा-परीक्षा में अन्तरीय धनराशि रु. 29.99 लाख के कारणों के विभागीय उत्तर में बताया गया कि उक्त त्रुटि माह 04/2018 के मासिक लेखे में ठीक कर दिया गया है तथा Ineligible Cost रु0 15.00 लाख के संबंध में विभागाध्यक्ष से दिशा निर्देश प्राप्त कर कार्यवाही की जाएगी।

विभागीय उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि लेखा -परीक्षा को उक्त त्रुटि को ठीक करने का साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा Ineligible Cost पर खंड द्वारा अभी कार्यवाही की जानी है।

अतः रु॰ 29.99 लाख का अंतरीय व्यय का प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-2 (ब)

प्रस्तर-3:- `1.94 लाख के राजस्व की हानि (Royalty)।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, निर्माण खंड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत, अल्मोड़ा के अभिलेखों की लेखापरीक्षा (29/06/2018 से 06/07/2018) के दौरान पाया गया कि खण्ड द्वारा कफड़ा बडैत मोटर मार्ग के कि.मी. 02 व 03 में काजवे कार्य से सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा भुगतान हेतु प्रस्तुत बिल (वाऊचर संख्या 25 N दिनांक 12/03/2016) में रॉयल्टी की धनराशि `11341/- एवं Improvement of Negragan Dahal Jalli Motor Road 01 to 13 km से संबन्धित ठेकेदार के बिल (व.सं. 43 दिनांक 08/03/2017) से `1,82,449.46 की रॉयल्टी की कटौती खण्ड द्वारा नहीं की गयी है।

उक्त की और इंगित करने पर खण्ड ने अपने उत्तर में स्वीकारा कि ठेकेदारो के देयकों से उक्त रॉयल्टी की कटौती नहीं की गयी है जिसकी वसूली ठेकेदार की जमा जमानत धनराशि/अगले बिलों से की जाएगी।

अत: खण्ड द्वारा ठेकेदारो के बिलों से रॉयल्टी की कटौती न करने से `1,93,791/- के राजस्व की हानि होने के प्रकरण को उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर सं0-1 रु॰27.01 लाख के प्रकीर्ण अग्रिम की वसूली न किया जाना।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खंड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत (अल्मोड़ा) के प्रकीर्ण अग्रिम से सम्बंधित अभिलेखों की लेखा परीक्षा की नमूना जांच मे पाया गया कि प्रकीर्ण अग्रिम पंजिका में निम्न धनराशि का अग्रिम दर्शाया गया है:-

Month from which Transaction Dates	**Particulars of item**	**June 18 Closing Balance (In Rs.)**
1/2005	उप-श्रमायुक्त कु0क्षे0 हल्द्वानी	158000
6/2007	उप श्रमायुक्त कु0क्षे0 हल्द्वानी	78000
1/2008	मै0 इंडियन आयल बरेली	298233
2/2008	मै0 कुमार ट्रेडिंग कंपनी	27253
6/2008	मै0 जय जिया फिलिंग	93636
1/2009	मै0 आई0ओ0सी0 मथुरा	1220062
2/2010	श्री हरीकृष्ण तिवारी पेट्रोल पम्प	680155
6/2015	मै0 हिंदुस्तान पैट्रोलियम रुड़की	145529
	कुल योग	2700868

उक्त अग्रिमों के समायोजन से सम्बंधित लेखा-परीक्षा के बिन्दु के विभागीय उत्तर मे बताया गया कि प्रकीर्ण अग्रिम मद मे पड़ी धनराशि के समायोजन हेतु लगातार पत्राचार किया जा रहा है तथा उक्त में से अधिकतर समायोजन इसी माह कर लिए जाएंगे।

विभाग के उत्तर से स्पष्ट है कि पुरानी प्रकीर्ण अग्रिम की धनराशि का लेखा-परीक्षा तिथि (जून 2018) तक समायोजन / वसूली नहीं होना, अनियमित है।

इस प्रकार रु॰27.01 लाख के प्रकीर्ण अग्रिम की वसूली नहीं किए जाने का प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर-2 `5.96 लाख की सामग्री का अनियमित क्रय किया जाना।

उत्तराखंड शासन वित्त विभाग संख्या 177/XXXVII(7)/2008 देहरादून:- दिनांक 01/05/2008 के अनुसार `3.00 लाख से अधिक की लागत सामग्री का क्रय करने के लिए अधिप्राप्ति नियमावली प्रावधानों के अनुसार निविदा आमंत्रित करके ही सामग्री का भंडारण किया जा सकता है। निम्नतर दरों का लाभ प्राप्त करने के लिए यथासाध्य अधिकतम आवश्यक मात्रा की एक साथ अधिप्राप्ति का प्रयास किया जाये। अधिप्राप्ति मूल्य कम करने के लिए आवश्यक मात्रा को विभाजित नहीं किया जाएगा।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत (अल्मोड़ा) के सामग्री क्रय पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया गया कि वर्ष 2015-16 (माह 03/2016) में Retor Refelective Village Name Board, फर्म से टुकड़ो में कोटेशन से प्राप्त दरें अनुमानित करके कुल `5,96,085.00 का उक्त सामग्री क्रय किया गया है। जिसका विवरण इस प्रकार है :-

माप पु सं	क्रय आदेश सं दिनांक	धनराशि
498 (L) 654	16/03/2016	296205.00
661	17/03/2016	299880.00
	कुल योग	5,96,085.00

उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 में उल्लिखित प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करते हुए निविदा आमंत्रित कर उक्त सामग्री का क्रय किया जाना चाहिए था। परन्तु विभाग के द्वारा `5,96,085.00 का क्रय टुकड़ो में फ़र्मों से कोटेशन प्राप्त करके उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली में उल्लिखित प्रावधानों के विपरीत क्रय किया गया।

इस संबंध में विभाग से पूछने पर अपने उत्तर में बताया गया कि खंड के विभिन्न मोटर मार्गो में सुरक्षा की दृष्टि से साइनेज आदि की आवश्यकता बार-बार रहती है, जिस हेतु खंडीय स्टोर में Sign Board/Village Name Board का क्रय आपूर्ति आदेश से किया गया है। साथ ही वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में प्राप्त

आवंटन/साख-सीमा को व्यपगत होने से बचाने हेतु फ़र्मों से quotation प्राप्त कर सामग्री क्रय की गई।

विभागीय उत्तर संतोषजनक नहीं है, क्योंकि विभाग को नियमों का स्पष्ट ज्ञान था, फिर भी नियमों की अवहेलना करके सामग्री का क्रय एवं भंडारण किया जाना विभागीय मंशा को स्पष्ट करता है।

अत: प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या ऑडिट मेमो के अनुसार निम्न को छोड़कर जो कि निस्तारित हो गयी है:- 11/2003-04 88/2004-05 91/2006-07 03/2011-12 18/2012-13	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या - 2 3 - -	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या 1 - - 3 1

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तरसंख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
			खण्ड द्वारा बताया गया है कि उच्चाधिकारियों के संस्तुति के पश्चात अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या कार्यालय को प्रेषित कर दी जाएगी।	

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

- शून्य -

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। **तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये:**

रासी-चौबटिया मोटर मार्ग से संबन्धित सीमेंट, स्टील, लोहा आदि के बिल, वाउचर, GST Payment से संबन्धित बिल, अभिलेख कार्य से संबन्धित

2. **सतत् अनियमितताएः** शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	**नाम**	**अवधि**
(i)	श्री एस. पी. सिन्हा	13/04/16 से 16/06/16 तक
(ii)	श्री मोहन चन्द्र जोशी	16/06/16 से अब तक

4.विगत संप्रेक्षा से अब तक निम्न खंडीय लेखाधिकारी खंड से संबद्ध रहे।

(I) श्री राकेश कुमार 01/2014 से 26/07/2016 तक।

(II) श्री धीरेंद्र प्रताप सिंह 29/07/16 से वर्तमान तक।

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **अधिशासी अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार आर्थिक क्षेत्र-2, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

आर्थिक खण्ड-II